All HOD
Supdt SKMCH

दूरभाष संख्या 0621–2245030 का०, 0621–2243709 आ०
E-mail-cs-muzaffarpur-bih@nic.in csmuz@rediffmail.com

कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

पत्रांक 3863 मुज०, दिनांक 15/10/2022

प्रेषक:

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

सेवा में:

अधीक्षक / प्राचार्य,
एस0के0एम0सी0एच0 मुजफ्फरपुर।

विषयः डॉ0 एन0एन0 सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, एस0के0एम0सी0एच0 मुजफ्फरपुर को सम्मन तामिला कराने के संबंध में।

प्रसंग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौदह, मुजफ्फरपुर (एस0टी0आर0नं0–629 / 09)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक सम्मन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि डॉ0 एन0एन0 सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, एस0के0एम0सी0एच0 मुजफ्फरपुर को सम्मन तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी सेवानिवृत / स्थानांतरित हो चुके हो तो उनके आवासीय पता पर अचूक रूप से विशेषदूत के माध्यम से सम्मन तामिला कराना सुनिश्चित किया जाएं एवं तामिला प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेगे।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक .... दिनांक

प्रतिलिपि :– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौदह, मुजफ्फरपुर (एस0टी0आर0नं0–629 / 09) के क्रम में सूचनार्थ सादर समर्पित।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

Sri Krishan Medical College, Muz.
Letter No:- 4904/22
Date:- 19-10-22
Receiver Sign

(20)

Court of 4th Addl. Sessions Judge Muzaffarpur.

[illegible] XLIII—High Court [illegible] 866. [Old Cr. Process No. 40.]

SN 629/09

[illegible] WITNESS

[illegible] 32, SCHEDULE II, ACT 2, 1974.

([illegible] and 244 of the Code of Criminal Procedure.)

[illegible] गवाह।

([illegible] मजमुआए जाबिते फौजदारी।)

साकिन

[illegible]

[illegible] किया गया है कि [illegible]

Dr N. N. Sinha

S.K.M.C.H. MUZ

[illegible] है [2]

और मुझे मालूम है कि [illegible] आप गवाही माकूल तरह से मुद्दई की दे सकेंगे।

Evidence

इसलिए [illegible] के आप को [illegible] किया जाता है के आप इस अदालत में [illegible] 19 माह 10-22 आइन्दा * दस बजे दिन को हाजिर 2. PM होकर इजहार दे [illegible] मुआमला मजकूर के बाबत क्या जानते है और बिला इजाजत के अदालत से न जावें और बजरिये इसके आप को आगाह किया जाता है के [illegible] बिला [illegible] के तारीख मजकूर पर हाजिर होने से [illegible] [illegible] को [illegible] हाजिर करने के लिए वारन्ट जारी किया जावेगी।

forwarded to Civil Surgeon MUZ

[signature]
14th ADJ
10.10.22

[illegible] अदालत की मोहर से दिया गया

[signature]
14th ADJ
10/10/22